

तारीख हुक्म

आपस अस्थाई आदेश नं. - 102/2024

18-06-24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25-06-24 को पेश हो।
गुण्यः कठोली संख्या-2 व 8 की मीटिंग में परिलक्षित होते ही, अग्रिम कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी।

25-6-24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 02-07-24 को पेश हो।

02.07.2024

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वादपत्र में आज वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन करवाये जाने हेतु सहमति व्यक्त कर दिये जाने पर मूल वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः मूल वादपत्र में आपसी सहमति होकर प्रारम्भिक डिक्री जारी होने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किया जाकर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

